UPGK010013282026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–660/2026

रीना मौर्या पुत्री वंशीधर मौर्या, पत्नी अजय मौर्या उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम–जंगल रामलखना बेलवार पत्ती टोला व वर्तमान पता निवासी रामनगर करजहां, थाना–खोराबार, जिला गोरखपुर।

.....**आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–716/2024
अंतर्गत धारा– 115(2), 125, 352 बी०एन०एस०
व धारा– 3(1) द, ध, 3(2) va SC/ST Act
थाना–खोराबार, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 10–03–2026

आवेदिका/अभियुक्ता **रीना मौर्या** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र अतुल कुमार मौर्या द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी दुर्गावती पत्नी मनोज कुमार ग्राम रामनगर कड़जहाँ थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के स्थाई निवासी व अनुसूचित जाति (चमार) के व्यक्ति है। प्रार्थिनी अपने दरवाजे पर (सायं 6 बजे) पर बैठकर अपने बच्चों के साथ आग सेक रहे थे कि इसी बीच रीना देवी पुत्री वंशीधर मौर्या अपने छत से आये दिन बाथरूम करती है व कूड़ा करकट फेकती है मना करने पर गाली देने लगी और चमार सियार कहकर ललकारने लगी। पहले से लामबन्द होकर लाठी डण्डा ईट पत्थर चलाने लगे और हमारे घर को घेर लिए हम पर ईंट पत्थर चलाने लगे जिससे हमें और हमारे बच्चों को गम्भीर चोट लग गई आस पास के लोग शोर सुनकर आये तो किसी तरह हम लोगों की जान बची, जिसकी सूचना 112 नं0 पर करके जान बची तब ये लोग भागे।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता पूर्णतया निर्दोष है। अभियोजन द्वारा लगाया गया अभियोग पूर्णतः गलत एवं निराधार है। प्रार्थिनी को मात्र रंजिशन फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थिनी का कोई विगत आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित चोटईलो को आई चोटे साधारण है व दो दिन पुरानी है। कथित घटना स्थल सार्वजनिक स्थान नहीं है जिससे एस०सी०/एस०टी० एक्ट का अपराध नहीं बनता है।

धारा–3 (2) (va) एक्ट का अपराध नही बनता है। असलियत यह है कि वादिनी मुकदमा के मकान का निकास दक्षिण रास्ते के तरफ है तथा उसके घर के पूरब तरफ गणेश पासवान का मकान है। उसके पूरब प्रार्थिनी का मकान है। प्रार्थिनी का मकान वह उक्त गणेश पासवान के मकान सटा हुआ है जिसके उत्तर आबादी की खाली जमीन है उक्त जमीन के पश्चिम तरफ वादिनी मुकदमा का मकान है। जैसा कि नक्शा नजरी से भी स्पष्ट है। प्रार्थिनी व उक्त गणेश पासवान के मकान के उत्तर आबादी की खाली जमीन है जिसमे प्रार्थिनी का पानी बहता है उसी जमीन को कब्जा करने के नियत से वादिनी मुकदमा व उनके परिवार के लोग प्रार्थिनी से झगड़ा करते है। कथित घटना के दिन वादिनी मुकदमा व उसके पूरे परिवार के लोग प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की भाभी सुमित्रा देवी को मारे–पीटे व घर में तोड़–फोड़ किए जिसके सम्बन्ध मे उसी समय 112 नंबर पर अतुल मौर्या ने फोन किया और पुलिस आयी बीच बचाव की। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के घर के लोग थाने पर रिपोर्ट करने जा रहे थे। कि वादिनी के पति मनोज कुमार व उनके भाई बृजेश गौतम जो उस समय समाज वादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। वादिनी मुकदमा के पति के भाई बृजेश गौतम के प्रभाव में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ व डाक्टरी भी नहीं हो पाई और बाद उनके तरफ से फर्जी मुकदमा दर्ज होने पर प्रार्थिनी के तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया गया। प्रार्थिनी के तरफ से प्रार्थिनी की भाभी सुमित्रा देवी के प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0–717/2024 धारा–191 (2), 115(2), 352, 351(3), 324(4), 125, 126 (2) बी0एन0एस० में वर्तमान मुकदमा में वादिनी मुकदमा दुर्गावती देवी व उनके पति व पारिवार के लोगो के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें आरोप पत्र भी न्यायालय आ चुका है। प्रार्थिनी के तरफ से दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र संलग्न है। प्रार्थिनी के द्वारा दौरान तफतीश धारा–35(3) बी०एन०एस०एस० का पालन किया गया है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदिका/अभियुक्ता पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदिका/अभियुक्ता को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध मुख्य रूप से वादिनी मुकदमा व उसके परिवार वालों को जातिसूचक शब्दों एवं गाली गुप्ता से अपमानित करते हुए लामबन्द होकर लाठी, डण्डा, ईंट व पत्थर चलाने से गंभीर चोटे आई और जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। चिकित्सीय रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा चोटहिल को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की कठोर कुन्द से कारित बतायी गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s** 528 **BNSS No**. 6400 **of** 2025 **Smt**. **Bacchi Devi vs**. **State of U**.**P**. **and other** [**Netural Citation No**. 2025: **AHC**:136034] में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **रीना मौर्या** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–660/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगी, विचारण में सहयोग करेगी एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगी, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।
I.**D**. **No**.–**UP**6051